

अधिसूचित जिले	अधिसूचित फसले	खरीफ 2023-26 वीमित राशि (रु./हेक्टेयर)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (%)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम रु./हेक्टेयर	अधिसूचित जिले	अधिसूचित फसले	खरीफ 2023-26 वीमित राशि (रु./हेक्टेयर)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर (%)	कृषक द्वारा देय प्रीमियम रु./हेक्टेयर
बरेली	धान	80500	2%	1610	झाँसी	मक्का	16000	2%	320
बरेली	बाजरा	45500	2%	910	झाँसी	बाजरा	37400	2%	748
बरेली	उड़द	82500	2%	1650	झाँसी	ज्वार	42500	2%	850
बरेली	तिल	11700	2%	234	झाँसी	उड़द	18700	2%	374
बदायूं	धान	76300	2%	1526	झाँसी	मूंग	21200	2%	424
बदायूं	मक्का	53100	2%	1062	झाँसी	तिल	22100	2%	442
बदायूं	बाजरा	45900	2%	918	झाँसी	मूंगफली	63300	2%	1266
बदायूं	उड़द	75100	2%	1502	झाँसी	सोयाबीन	37400	2%	748
बदायूं	तिल	12200	2%	244	झाँसी	अरहर	72200	2%	1444
शाहजहाँपुर	धान	104500	2%	2090	अयोध्या	धान	85200	2%	1704
शाहजहाँपुर	मक्का	43500	2%	870	अम्बेडकरनगर	धान	92300	2%	1846
शाहजहाँपुर	बाजरा	43900	2%	878	सुलतानपुर	धान	96400	2%	1928
शाहजहाँपुर	उड़द	51300	2%	1026	बाराबंकी	धान	92900	2%	1858
शाहजहाँपुर	तिल	10300	2%	206	बाराबंकी	मक्का	28500	2%	570
पीलीभीत	धान	102900	2%	2058	बाराबंकी	ज्वार	39300	2%	786
बिजनौर	धान	82900	2%	1658	बाराबंकी	उड़द	29400	2%	588
बिजनौर	उड़द	59600	2%	1192	बाराबंकी	अरहर	69700	2%	1394
बिजनौर	मूंगफली	85400	2%	1708	अमेठी	धान	79600	2%	1592
मुरादाबाद	धान	83900	2%	1678	गोण्डा	धान	74200	2%	1484
मुरादाबाद	बाजरा	41100	2%	822	गोण्डा	मक्का	23900	2%	478
मुरादाबाद	उड़द	63800	2%	1276	बलरामपुर	धान	82200	2%	1644
अमरोहा	धान	78800	2%	1576	बहराइच	धान	78500	2%	1570
अमरोहा	मक्का	39100	2%	782	बहराइच	मक्का	29600	2%	592
अमरोहा	बाजरा	25900	2%	518	बहराइच	अरहर	44700	2%	894
अमरोहा	उड़द	56200	2%	1124	श्रावस्ती	धान	78200	2%	1564
रामपुर	धान	86000	2%	1720	श्रावस्ती	मक्का	18700	2%	374
रामपुर	बाजरा	29700	2%	594	श्रावस्ती	अरहर	44400	2%	888
रामपुर	उड़द	59300	2%	1186	महोबा	उड़द	21000	2%	420
संभल	धान	82900	2%	1658	महोबा	मूंग	18600	2%	372
संभल	मक्का	49700	2%	994	महोबा	तिल	23400	2%	468
संभल	बाजरा	39500	2%	790	महोबा	मूंगफली	68100	2%	1362
संभल	उड़द	66200	2%	1324	महोबा	अरहर	64500	2%	1290
झाँसी	धान	64800	2%	1296					



फसल बीमा कराओ
सुरक्षा कवच पाओ



इफको-टोकियो

जनरल इश्योरेंस
गुन गुनारते रहो

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

UIN: IRDAN106RP0001V01201617

मौसम खरीफ-2024



- उद्देश्य** :
- प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना।
 - कृषि में उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना।
 - आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना।

पात्र कृषक : अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक (ऋणी/गैर ऋणी)
(ऋणी कृषकों को बीमा में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंक को बीमा की अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु देंगे।)
बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज- आधारकार्ड, बैंक खाता सम्बन्धी प्रपत्र, भूमि स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र, बटाई प्रमाणपत्र, फसल बुआई का प्रमाणपत्र (स्वसत्यापित) एवं मोबाइल नम्बर



अधिसूचित फसल (खरीफ)	बीमा की इकाई	बीमित राशि (रु./हे.)	प्रीमियम की राशि (रु./हे.)	बीमा कराने की अन्तिम तिथि
धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, तिल, सोयाबिन व मूंगफली	संसूचित ग्राम पंचायत	प्रति हेक्टेयर संसूचित राशि	बीमित राशि का 2%	31 जुलाई 25 अगस्त

(जनपदवार/फसलवार बीमित राशि एवं देय प्रीमियम पीछे पृष्ठ पर अंकित है।)

बीमा कहाँ कराये/जानकारी हेतु

सम्बन्धित बैंक शाखा

जन सेवा केन्द्र (CSC)

भारत सरकार के PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in)

क्रियान्वयक अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ/कार्यालय

(कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क बीमा के लिए देय नहीं है)

बीमा से आच्छादित जोखिम

ग्राम पंचायत स्तर पर (क्षेत्र आधारित)	व्यक्तिगत आधार पर
<ul style="list-style-type: none"> असफल बुआई की स्थिति में। फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा से नकुसान की स्थिति में। फसल कटाई के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज में गारन्टीड/श्रेथोल्ड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में। 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय आपदा- खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़ कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण क्षति की स्थिति। फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात/चक्रवातीवर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति की स्थिति। (उपरोक्त आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टे के अन्दर सूचना देना अनिवार्य है)

फसल नुकसान के सम्बन्ध में सूचित करने हेतु

कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन (टोल फ्री)

14447

सम्बन्धित बैंक शाखा

कृषि/उद्यान विभाग कार्यालय

क्रॉप इश्योरेंस एप

प्रधान कार्यालय एवं शिकायत सेल का विवरण:

इफको-टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

इफको टॉवर II, प्लॉट नं.-3, सेक्टर-29, गुरुग्राम (हरियाणा)-122001 | वेबसाइट : www.iffcotokio.co.in | संपर्क करें : 14447 (टोल फ्री) | ई-मेल : supportagri@iffcotokio.co.in

कृषक बीमा सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए राज्य अधिसूचना बीमा प्रपत्र, भारत सरकार के PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in), कृषि/उद्यान विभाग, टोल फ्री नं. एवं क्रियान्वयक अभिकरण से सम्पर्क करें।

➤ बीमा आग्रह की विषय वस्तु है ➤ जोखिम कारकों, नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, बिक्री समापन से पहले कृषया बिक्री विवरणिका को ध्यान से पढ़ें।

IRDAI Regd. No.106 | CIN: U74899DL2000PLC107621 | UAN: ITGI/24-25/InsAdvt/Rural-09